संख्या-96/2016/1138जेएल/22-3-16-800(325)/2015

प्रेषक,

पलबिन्दर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
बाराबंकी।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 15 मार्च, 2016***

विषय- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी के बंदी समीउल्ला पुत्र श्री हबीब, निवासी-ग्राम-सुढियामऊ, थाना-रामनगर, जिला-बाराबंकी को पैरोल वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी के बंदी समीउल्ला पुत्र श्री हबीब, निवासी-ग्राम-सुढियामऊ, थाना-रामनगर, जिला-बाराबंकी को शासनादेश संख्या-8/2016/69जेएल/22-3-16-800(325)/2015, दिनांक 08-01-2016 के क्रम में **एक माह की पैरोल वृद्धि** स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(पलबिन्दर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-96/2016/1138जेएल(1)/22-3-16-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पलबिन्दर सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in